रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

UL/2917/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 1986/आषाढ़ 3, 1908
No. 21] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 1986/ASADHA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 23 जून, 1986

अधिसूचना

आ. स. 45(अ)—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उस अवधि को जिसके अन्दर जम्मू और कश्मीर राज्य में 4-लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा उसमें का किसी प्रविष्टि पर कोई आक्षेप दाखिल किया जा सकेगा, तारीख 21 जुलाई, 1986 (सोमवार), जिसमें यह तारीख शामिल है, तक बढ़ाता है।

[संख्या 23/ज क./86(7)]

आदेश से,
बलवन्त सिंह, अवर सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 23rd June, 1986

NOTIFICATION

O.N. 45(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to rule 12 of the Registration of electors Rules, 1960 and all other powers enabling it in that behalf, the Election Commission hereby extends upto and including 21st July, 1986 (Monday), the period within which a claim for the inclusion of a name or an objection to an entry in the electral rolls of 4-Ladakh parliamentary constituency in the State of Jammu and Kashmir shall be lodged.

[No. 23/J&K/85-(7)]

By Order,
BALWANT SINGH, Under Secy.
ELECTION COMMISSION OF INDIA

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986